भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1633

उत्तर देने की तारीख 13 फरवरी, 2023

सोमवार, 24 माघ,1944 (शक)

कौशल विकास कार्यक्रम

1633. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करनेऔर रोजगार सृजित करने हेतु, सम्पूर्ण देश में 40 करोड़ लोगों कोकुशल बनाने के उद्देश्य के साथ, 2015 में प्रभावी ढंग से कौशलविकास योजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौशल विकास कार्यक्रम ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में कितनी सहायता की है;

(ग) क्या सरकार के पास शिक्षित युवाओं के लिए बेरोजगारी की समस्या से निपटने हेतु औपचारिक शिक्षा को कौशल प्रशिक्षण के साथ जोड़ने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार की ऐसे शिक्षित युवाओं को उनकी औपचारिक शिक्षा के बाद विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की भी योजना है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख) राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति, 2015 के अनुसार, वर्ष 2014-15 में बिना किसी औपचारिक कौशल के कार्यबल में व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 29.8 करोड़ थी जिसके लिए कौशलीकरण, पुनः कौशलीकरण और कौशल उन्नयन की आवश्यकता थी तथा वर्ष 2015-22 के बीच कौशलीकरण की आवश्यकता वाले कार्यबल में नए प्रवेशकों की अनुमानित संख्या प्रति वर्ष 1.49 करोड़ थी।यह वर्ष 2015 में कौशल आवश्यकता के अनुमानित डायमेंशन का वर्णन करता है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) देश भर में विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास स्कीम (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन केंद्रों के

माध्यम से उद्योग और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार उम्मीदवारों को नियोजनीय कौशल प्रदान किया जाता है। इन स्कीमों के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	स्कीम	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
1	पीएमकेवीवाई (वित्त-वर्ष 2015-16 से दिसंबर 2022)	137.24 लाख
2	जेएसएस (वित्त-वर्ष 2018-19 से दिसंबर 2022)	15.74 लाख
3	एनएपीएस (वित्त-वर्ष 2018-19 से दिसंबर 2022)	18.73 लाख
4	सीटीएस (2015 से 2021)	88.41 लाख

इसके अलावा, अक्तूबर, 2022 तक एनएसडीसी द्वारा 188.44 लाख लोगों को शुल्क आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) की दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के अंतर्गत दिसंबर, 2022 तक कुल 13.50 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, दिसंबर, 2022 तक दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत 13.31 लाख लोगों को और ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के अंतर्गत 33.64 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।

एमएसडीई की स्कीमों में, पीएमकेवीवाई के अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक के अंतर्गत नियोजन को विशेष रूप से ट्रैक किया जाता हैं। पीएमकेवीवाई के एसटीटी घटक के अंतर्गत, दिसंबर, 2022 तक कुल 68.02 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 54.26 लाख को प्रमाणित किया गया है और 23.39 लाख लोगों को नियोजित किया गया है, जो प्रमाणित संख्या का लगभग 43% है।

(ग) और (घ) स्कूली छात्रों के बीच कौशल विकास के महत्ता को समझते हुए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) पूरे देश में केंद्र प्रायोजित योजना - समग्र शिक्षा के तहत स्कूल शिक्षा के व्यवसायीकरण की पहल का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य सभी माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ एकीकरण करना, छात्रों की रोजगार क्षमता और उद्यमशीलता की क्षमताओं को बढ़ाना, काम के माहौल के लिए एक्सपोजर प्रदान करना और विभिन्न कैरियर विकल्पों के बारे में छात्रों में जागरूकता पैदा करना है, ताकि उन्हें उनकी अभिरूचि, क्षमता और आकांक्षाओं के अनुसार एक विकल्प के रूप में तैयार किया जा सके।

स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए स्कूलों में कक्षा 9 से 12 वीं तक के छात्रों के लिए राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम पेश किए जाते हैं। माध्यमिक स्तर पर, यानी कक्षा 9और 10 मेंछात्रों को एक अतिरिक्त विषय के रूप में व्यावसायिक मॉड्यूल की पेशकश की जाती है। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर, यानी कक्षा 11और 12में, व्यावसायिक पाठ्यक्रम एक अनिवार्य (एच्छिक) विषय के रूप में पेश किए जाते हैं।

रोजगार कौशल मॉड्यूल को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अनिवार्य भाग बनाया गया है। इसमें संचार कौशल, स्व प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमशीलता कौशल और हरित कौशल शामिल हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में भी व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष बल दिया गया है। सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण और व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने को देश की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार के रूप में चिह्नित किया गया है। एनईपी के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, समग्र शिक्षा की मौजूदा स्कीम को नया रूप दिया गया है और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न नए इन्टरवेंशनों को शामिल किया गया है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(i) सरकारी स्कूलों के अलावा सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों में भी व्यावसायिक शिक्षा के कवरेज का विस्तार किया गया है।
(ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए आस-पास के स्कूलों (स्पोक स्कूल) के छात्रों द्वारा हब स्कूलों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए व्यावसायिक शिक्षा का हब एंड स्पोक मॉडल पेश किया गया है।
(iii) उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा का एक्सपोजर।
(iv) समग्र शिक्षा के नवोन्मेष घटक के तहत इंटर्नशिप, बैगलेस डे आदि को शामिल किया गया है।

स्कीम के तहत, छात्रों में नवोन्मेष और रचनात्मकता को पोषित करने के लिए उद्यमशीलता विकास पर एक मॉड्यूल को कक्षा 9 से 12 तक के व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का एक मुख्य घटक बनाया गया है। मॉड्यूल छात्रों में रचनात्मक और अभिनव कौशल के विकास की ओर उन्मुख है, ताकि वे मौजूदा कार्य में नए ज्ञान का उपयोग कर सकें और नए विचारों और मूल्यों का सृजन कर सकें।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने शिक्षा मंत्रालय के समन्वय से एनईपी में यथा परिकल्पित शिक्षा इकोसिस्टम में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कौशल केंद्र पहल (एसएचआई) में कौशल नेटवर्क, स्कूल नेटवर्क और उच्च शिक्षा नेटवर्क को एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में आयोजित किया।

नई शिक्षा नीति की दृष्टि से, भारत सरकार ने दोनों के बीच लचीलापन और गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए अकादमिक और व्यावसायिक डोमेन के एकीकरण को सक्षम करने के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीएफ़) तैयार किया है।

एनईपी और स्कूली शिक्षा के व्यवसायीकरण का लक्ष्य बिना किसी व्यावसायिक कौशल के श्रम बल में नए प्रवेशकों की संख्या में कमी करना है।

****